



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर  
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)



File no- CHG/RAP/LST-27/Raipur/333

MINE CODE 38MPR13024

दिनांक - 08.02.2023

प्रेषिति,

श्रीमति मोहिनी देवी मिश्रा,  
48/3 नेहरू नगर(ईस्ट), भिलाई, दुर्ग,  
छत्तीसगढ़ - 490020

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम - नंदिनी खुनदिनी, तहसील - धमधा, और जिला - दुर्ग, में स्थित आपकी नंदिनी खुनदिनी चूना पत्थर खान, क्षेत्रफल 4.55 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय,

आपके उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18.01.2022 को श्री देबदुर्लभ दाश, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा श्री राजू कुमार ताडीं, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	<p>The mining operations are required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by Indian Bureau of Mines. However, the mining operations have been observed not carried out in accordance with Review &amp; updation of Mining Plan approved vide letter No. DRG/LST/KHYO-11/2018 dated 25/05/2018 for the period from 2018-19 to 2022-23 to the extent as mentioned below:</p> <p>(i) 7.5 m area within &amp; along the lease boundary (safety zone) was found to be encroached by carrying out excavation at number of places that is between boundary pillars PBP 01 to BP 01, BP 01 to 02, BP 03 to 04 and BP 04 to 06 without such approval.</p> <p>(ii) Against approval of planation of 450 saplings during the year 2018-19, planation of only 150 saplings have been carried out during the year 2021-22.</p> <p>Hence, the above are observed to be against systematic and scientific development of mines and protection of environment.</p>
26(2)	<p>A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines ought to be submitted before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2021-22.</p>

(2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(3) नियम 11(1) के नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत :-

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को दें।

(प्रेम प्रकाश)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 –  
[Email-com.cz@ibm.gov.in](mailto:Email-com.cz@ibm.gov.in)

2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर